राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 908वी बैठक दिनांक 31.10.2025 का कार्यवाही विवरण

9राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 908वी बैठक दिनांक 31.10.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/1524/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
2.	P2/1590/2025	1(a)	टीकमगढ़	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	P2/1589/2025	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
4.	10443/2023	1(a)	बैतूल	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार	पर्यावरण स्वीकृति वैधता विस्तार जारी की जाये।
5.	P2/1586/2025	1(a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1578/2025	1(a)	टीकमगढ़	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
7.	9262/2022	5(f)	इन्दौर	Buld Durgs/ Pharmaceutical Ingredients	ADS raised by SEAC	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
8.	7171/2020	1(a)	सिवनी	मार्बल एवं ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये।
9.	P2/1595/2025	1(a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/1599/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

11.	P2/1598/2025	1(a)	शिवपुरी	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	10695/2023	1(a)	जबलपुर	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/1596/2025	1(a)	गुना	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
14.	P2/1575/2025	1(a)	निवाड़ी	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/1619/2025	1(a)	धार	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	11063/2023	1(a)	सागर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित।
17.	P2/1122/2025	1(c)	सिवनी	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	11035/2023	1(a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	8025/2020	1(a)	बालाघाट	मैगनीज ओर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति वैधता विस्तार	पर्यावरण स्वीकृति वैधता विस्तार जारी की जाये।
20.	P2/463/2024	1(a)	सिवनी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 908वी बैठक दिनांक 31.10.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/524106/2025, Case No P2/1524/2025 Prior Environment Clearance for Murrum & Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha, for production capacity of Gitti-32130 Cum Per Annum, Boulder 26775 Cum Per Annum, M-Sand 42840 Cum Per Annum, Murrum- 8170 Cum Per Annum & Saleable Waste-5355 Cum Per Annum, at Khasra No. 1252/1/1, Village-Kalani, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP). by M/S Harsh Minerals, partner Shri Manish Kumar Agrawal, Address – House No. 381, Ward No. 14, Takiya Mohalla, Meena Bajar, Nowgaon, District Chhatarpur (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **810वी बैठक दिनांक 12.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 810वी बैठक दिनांक 12.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रमांक 9931–35 दिनांक 03.08.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **ग्रामीण सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/537631/2025, Case No P2/1590/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity of 70000 cum per annum, at Khasra No. 1(P),2/2(P), Village Vijaypur, Tehsil-Mohangarh, District-Tikamgarh (M.P.) by Smt. Nidhi Bukhariya, R/o- 12/377, Near Bukhariya Computers, KotwaliPradhanpura, District Tikamgarh M.P

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **811वी बैठक दिनांक 15.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 811वी बैठक दिनांक 15.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ के आदेश कमांक 1860 दिनांक 22.07.2021 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. Proposal No.: SIA/MP/MIN/538235/2025, Case No P2/1589/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.0 ha., for production capacity of Gitti 30,000 cum per year & M.Sand 30000 cum per year, at Khasra No. 279, Village Kanakhedi Harbans, Tehsil – Mahidpur, District-Ujjain (MP) by Smt. Lalita, R/o- 108, Yashwant Nagar Indore, District-Indore, M.P

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **811वी बैठक दिनांक 15.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 811वी बैठक दिनांक 15.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश कमांक 9210–10 दिनांक 22.08.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रियाऐं प्रारंभ करने से पूर्व तालाब की ओर 4 मीटर हाईट की बिंड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

4. Proposal No.: SIA/MP/MIN/533701/2025, प्रकरण क्र. 10443/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राज सिंह परिहार, निवासी टैगोर वार्ड, गांधी नगर कालोनी, बैतूल गंज, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 11400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 104/1 ग्राम सराड, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता विस्तार के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **811वी बैठक दिनांक 15.07.2025** में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 811वी बैठक दिनांक 15.07.2025 में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **उपरोक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र Identification No. - EC24B001MP152648 दिनांक 06.05.2024 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल का लीज नवीनीकरण आदेश क. 481 दिनांक 26.03.2025 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 06.05.2024 की वैधता 13.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

5. Proposal No.: SIA/MP/MIN/523578/2025, Case No P2/1586/2025 Prior Environment Clearance For Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 1.00 Hectare, for production capacity of 11,115 Cum Per Year, at Khasra No. 423, Village Anchalkund Tehsil Harrai District Chhindwara (MP) by Shri Omnaman Sahu S/O Shri Santosh Sahu AddressWard No. 15 Main Road, Batkakhapa, Tehsil- Harrai, Dist Chhindwara (MP)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **811वी बैठक दिनांक 15.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 811वी बैठक दिनांक 15.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के पत्र कमांक 1512 दिनांक 25.10.2024 एवं 2195 दिनांक 31.01.2025 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले स्टेट हाईवे से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

6. Proposal No.: SIA/MP/MIN/520966/2025, Case No P2/1578/2025 . Prior Environment Clearance for Murrum Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., for Production capacity of 17248 cum per annum, at Khasra No. 46, Village-Amarpur, Tehsil – Tikamgarh, District - Tikamgarh (M.P.). by Vikas Yadav, Owner, R/O - Ward no25, Mamon Darwaja, Tikamgarh, M.P.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **811वी बैठक दिनांक 15.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन में CAF के सरल कमांक 1.4 में मुरूम के स्थान पर स्टोन खदान एवं पार्ट–बी के सरल कमांक 1.1 व 16.3 में खनिज मुरूम के स्थान पर स्टोन अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन किस खनिज के लिये किया गया है। साथ ही प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र में नोटरीकर्ता की दिनांक अंकित नहीं है कि उक्त शपथ पत्र किस दिनांक को बनाया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

7. **Proposal No.- SIA/MP/IND3/534239/2025, Case No 9262/2022 Prior Environment Clearance From Manufacturing Of Bulk Drugs/Active Pharmaceutical Ingredients (Steroids/Hormones/General Drugs Like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic Etc.) / Drug Intermediates/Chemicals / Fine Chemicals At 67 & 89, Dmic, Vikram Udyogpuri – Tehsil - Narwar, Distt. - Indore (M.P.) - 453331. Land Area - 12.5816 Ha., Product & Capacity Bulk Drugs And Intermediates - 1260 Tpa, (Located Within Notified Industrial Area). Cat. 5(F) Synthetic Organic Chemicals Industry. Shri Sasi M.N., General Manager Administration, M/S SymbiotecZenfold Private Limited, Add. - 385/2, Pigdamber, Rau, Indore - (M.P.) - 453331**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 811वी बैठक दिनांक 15.07.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" The Committee after presentation asked PP to submit following information for further consiferation of the project:

Please upload Valid CTO along with notorized affidavit from new PP with undertaking that the transferee will bear the responsibilities for compliance of the conditions stipulated in the issued EC and shall be responsible for violations if any in the past.'

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में SEAC समिति द्वारा 811वी बैठक दिनांक 15.07.2025 परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी चाही गई है किन्तु प्रकरण में ADS जारी न करते हुए प्रकरण SEIAA को बिना अनुशंसा के अग्रेषित कर दिया गया है। अतः प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये एवं SEAC द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाये कि परियोजना प्रस्तावकों से चाही गई वांछित जानकारी के प्रकरणों को बिना अनुशंसा के SEIAA को अग्रेषित न किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. Proposal No.- SIA/MP/MIN/546835/2025, Case No. - 7171/2020 Prior Environmental Clearance for Dolomite Quarry (opencast manual method) in an area of 1.0 ha. (11659 TPA) (Khasra No. 29, 30), Village - Jatama, Tehsil - Kurai, Dist. - Seoni (MP) by M/s Linkson Marble & Granite Pvt. Ltd, 4th Floor, Poonam Plaza, Civil Lines, Nagpur, Dist. - Nagpur, Mah. 440001 Regarding transfer of EC in the name of Shri Mohsin Kamal, R/o Plot No. 09 Housing Society, Haji Nagar New Yerkheda, Kamtee Nagpur (MH)

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत पूर्व पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तातक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र कमांक 3750 दिनांक 16.10.2020 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला कलेक्टर सिवनी से अभिप्रमाणित करवाकर 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

9. Proposal No.: SIA/MP/MIN/534380/2025, Case No P2/1595/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area 4.000 Ha, for production capacity of 36,000 M3/Year, at Survey No. – 395, Village- Parasi, Tehsil- Sarai, District- Singrauli (M.P.). by Shri Santosh Kumar Jaiswal S/o Shri Rameswar Prasad Jaiswal, Village Bharseda, Post- - Jhara Tehsil Sarai District - Singrauli (M.P.) – 486669

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **812वी बैठक दिनांक 19.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 812वी बैठक दिनांक 19.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रमांक 1161 दिनांक 24.01.2025 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले आईसोलेटेड हाउस से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में गौजूद 20 पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं खदान क्षेत्र के बीच में मौजूद 12 वृक्षों को विस्थापित करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा शेष वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

10. Proposal No.: SIA/MP/MIN/538092/2025, Case No P2/1599/2025 Prior Environment Clearance For Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 2.00 Hectare, for Production Capacity of 16,800 M3/Year Stone and 7200 M3/Year Of M-Sand, at Khasra No. 56/6(S) & 56/3(S), Village - Kharagpur Tehsil- Guna, Districtguna (M.P.) by Shri Yashpal Raghuvanshi, S/O - Shri Ramesh Singh Raghuvanshi, R/O Village - Khajoori, Tehsil - Guna, District - Guna (M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **812वी बैठक दिनांक 19.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 812वी बैठक दिनांक 19.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के आदेश कमांक 62 दिनांक 28.01.2025 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.01.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर एवं हाईटेंशन लाईन से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 04 वृक्षों में से काटे जाने वाले 02 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 20 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। 02 वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

11. Proposal No.: SIA/MP/MIN/520036/2025, Case No P2/1598/2025 Prior Environment Clearance for Flagstone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 2.78 Hectare, for Production Capacity of 10,008 Cubic Meter Per Year, at Khasra No. - 1345, 1348, in Village Bhadora, Tehsil - Pichhore, District – Shivpuri (M.P.) by Shri Nirdosh Goyal, Babu Quarter Road, Ward No. - 37, Kamlaganj, Shivpuri (M.P.)-473551

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **812वी बैठक दिनांक 19.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 812वी बैठक दिनांक 19.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आदेश क्रमांक 811 दिनांक 11.06.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.06.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12. Proposal No.: SIA/MP/MIN/528748/2025, Case No 10695/2023 Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.75 ha., for Production Capacity of Stone & Murum 23426 cum per year, at Khasra No. 26, 28 Part, Village Badhaiya Kheda, Tehsil Jabalpur, District-Jabalpur (MP) by Shri Gaurav Bhanot, Owner, 1101, Bhanot House, Gorakhpur, District Jabalpur (MP)-480021.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **812वी बैठक दिनांक 19.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 812वी बैठक दिनांक 19.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के आदेश क्रमांक 4170 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार 05 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.03.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vi) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(viii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(ix) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

13. Proposal No.: SIA/MP/MIN/538685/2025, Case No 1596/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 2.00 hectare, for production capacity of 10,000 m3/year, at Khasra No. - 65/1 min-2, Village - Barod, Tehsil- Aron, District- Guna (M.P.) by Shri Rajveer Singh Raghuwanshi R/o-Gulabganj Aron, Tehsil - Aron, District - Guna, (M.P.) – 473101

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **812वी बैठक दिनांक 19.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 812वी बैठक दिनांक 19.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश कमांक 2697 दिनांक 29.02.2024 के अनुसार 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.02.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 01 वृक्ष में से काटे जाने वाले 01 वृक्ष के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 20 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये। योजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वृक्ष को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

14. Proposal No.: SIA/MP/MIN/521510/2025, Case No P2/1575/2025 Prior Environment Clearance For Murum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area 3.5 Ha., for production capacity of 40002 Cum Per Annum, at Khasra No. 553/4, Village-Naya Khera Tehsilniwari -- District Niwari (M.P.) by Smt. Manjulata Gour, R/o Village Nayakhera, Kuluwakhaas, Niwari, KuluaNiwari (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **812वी बैठक दिनांक 19.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 812वी बैठक दिनांक 19.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के आदेश क्रमांक 239 दिनांक 12.07.2024 के अनुसार 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नहर से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संकिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 50 वृक्षों में से काटे जाने वाले 40 वृक्षों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 400 पौधों का रोपण किया जाये व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये तथा शेष बचे पेड़ों का संरक्षण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 40 वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

15. Proposal No.: SIA/MP/MIN/539401/2025, Case No P2/1619/2025 Prior Environment Clearance for Murum & Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha. for production capacity of Murrum – 21,000 cum per year, Gitti – 15,000 cum per year and M-Sand 60,000 cum per year, at Khasra No. 13, Village-Birampura, Tehsil Manawar District-Dhar (MP) by Shri Daksh Sihag, Lessee, R/o Sai Kripa colony, District Indore (M.P)

राज्य स्तरीय विशेशज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **813वी बैठक दिनांक 22.07.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय प्र्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्र्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 813वी बैठक दिनांक 22.07.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के आदेश कमांक 1058 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार 10 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.04.2035 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढ़का जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

16. Proposal No.: SIA/MP/MIN/442368/2023, प्रकरण क्र. 11063/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमति सवित्री शुक्ला, निवासी हीरापुर, तहसील शाहगढ़ जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 78, ग्राम – हीरापुर, तहसील शाहगढ जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के एकल प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होना बताया गया है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान भी परिलक्षित हो रही है जिसके अनुसार प्रकरण बी–1 श्रेणी का प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर, सागर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का स्थल निरीक्षण उपरांत स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

1. ऑनलाईन फार्म के पार्ट–बी के पैरा 10.1 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना से कोई वायु प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा जबकि प्रश्नाधीन प्रकरण खनन से संबंधित है जिसमें उत्खनन, विस्फोटक, ड्रिलिंग और परिवहन भी शामिल है इने निश्चित रूप से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि पैरा 10.1 में दी गई जानकारी गलत है। इसी प्रकार पैरा 10.3.1 में उल्लेख है कि परियोजना से कोई शोर और कम्पन्न उत्पन्न नहीं होगा जबकि EMP के पृष्ठ संख्या 12 के अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, ब्लास्टिंग से शोर और कम्पन्न दोनो उत्पन्न होता है। अतः पैरा 10.3.1 में दी गई जानकारी असत्य एवं भ्रामक है। ऑनलाईन फार्म के पार्ट–बी के पैरा 13 में 1.125 टन प्रतिवर्ष MSW दिखाया गया है जबकि मैनपॉवर सिर्फ 15 दिखाया गया है जो वेमेल है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा असत्य एवं निराधार जानकारी देने के लिये प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17. Proposal No.: SIA/MP/RIV/515494/2025 Case No.: P2/1122/2025 Prior Environment Clearance for Sher Irrigation Complex Project Dam-1 with CCA 6550 Ha. located on the River - Kurmunda near village Pipariya, Tehsil Lakhandon, District Seoni in Madhya Pradesh by Shri Santkumar Sirsam, Executive Engineer, Water Resources Division, Village – Chorai, Pench Colony, Chand Road, Tehsil - Chorai, Distt.- Chindwara (Mp) – 480115 ,.

प्रकरण में **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की** 787वीं बैठक दिनांक 22.04.2025 **में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु** अनुशंसा की गई है जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 16 से 27 तक अंकित है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 888वी बैठक दिनांक 06.08.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"उक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की बैठक 888–बी दिनांक 06.08.2025 मे पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि चूँकि परियोजना में 31.28 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा (20/11/2024 को आवेदन क्रमांक एफपी/एमपी/एचवाईडी/आईआरआरआईजी/505464/2024) के साथ Stage-I Forest clearance के लिए आवेदन किया गया था परन्तु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

अतः Stage-I Forest clearance पोर्टल पर अपलोड किये जाने उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।"

उक्त के परिपालन में Executive Engineer Pench Diversion Dam W.R. Division No. 1 Chourai, Distt. Chhindwara (M.P.) के पत्र दिनांक 25.09.2025 द्वारा MPSEIAAको PARIVESH पोर्टल पर reply प्रस्तुत किया गया "In-Principle" approval of the Central Government under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the Proposal for Diversion of 30.99 ha Protected and Revenue Forest Land for Construction of Sher Irrigation Complex Project Dam-1 in favour of Executive Engineer, Pench Diversion Dam-1, Water Resources Division No.-01 Chaurai in Seoni District of Madhya Pradesh.

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. यह प्रकरण "शेर सिंचाई परिसर परियोजना (डैम–1)" मध्य प्रदेश सिवनी जिले की लखनादोन तहसील पिपराली गाँव में नदी कुर्रमुंडा परियोजना में 6550 हेक्टेयर (सीसीए) के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।
2. परियोजना का सीसीए क्षेत्र 6550 हेक्टेयर है; इसलिए 2006 की एवं यथासंशोधित 14 अगस्त 2018 के अनुसार, यह श्रेणी बी 2 परियोजना (मध्यम सिंचाई परियोजना जिसमें सीसीए 2000 हेक्टेयर और <10000 हेक्टेयर है) के अंतर्गत विचाराधीन है।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

3. परियोजना में नर्मदा बेसिन में शेर नदी की सहायक नदी कुर्रमुंडा पर एक बांध का निर्माण शामिल है। परियोजना के पूरा होने पर, सिवनी जिले की लखनदौन तहसील के 18 गाँवों की 6550 हेक्टेयर भूमि को जल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित की गई है।
4. डैम बनने के बाद जो जलाशय बनेगा, उससे कुल 11 गाँवों (527 परिवारों) की 561.47 हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी, जिसमें से 31.28 हेक्टेयर वन भूमि होगी, 427.92 हेक्टेयर निजी भूमि होगी।
5. परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र 98.00 वर्ग किमी.है।
6. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project	**SIA/MP/RIV/515494/2025.** **Cat. - 1(c) River Valley Project.**
2.	Project Name	**SHRI SANTKUMAR SIRSAM, EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION, Village – Chorai, Pench Colony, Chand Road, Tehsil - Chorai, Distt.- Chindwara (MP) – 480115,** *Environmental Clearance for Sher Irrigation Complex Project Dam-1 with CCA - 6550 Ha., River - Kurrmunda near Village – Piprali, Block – Lakhnadon, District-Sheoni (MP).* **SIA/MP/RIV/515494/2025.**
3.	Project Brief Summary	Proposed on the River - Kurrmunda near Village –Piprali, Block – Lakhnadon, District-Sheoni (MP). CCA of project is 6550 Ha. Length of Dam-1 is 3375 m with spillway portion having 5 gates and one standby gate. Size of gates are 7.5 m X 7.0 m. The Gross capacity of Sher Dam I is 28.096 MCM and live storage capacity is 26.28 MCM. The river bed level is 584 m and FRL and MWL kept as 593 m and 595 m respectively. Top Bank level is 597 m. The total length of piped canal is approximate 159 km by gravity to benefit 18 villages in the command.
4.	Project Proposal For	New.
5.	Project Cost	26890.79 Lakhs.
6.	Type of Irrigation	Micro Irrigation.
7.	River details	River - Kurrmunda near Village –Piprali, Block – Lakhnadon, District- Sheoni (MP).
8.	Dam details	Length of Dam-1 is 3375 m with spillway portion having 5 gates and one standby gate. Size of gates are 7.5 m X 7.0 m. The Gross capacity of Sher Dam I is 28.096 MCM and live storage capacity is 26.28 MCM. The river bed level is 584 m and FRL and MWL kept as 593 m and 595 m respectively. Top Bank level is 597 m.
9.	Declaration No Construction Activity Start at project site	EE, Chindwara letter No. Nil Dated 27/01/2025 (Upload on Parivesh Portal).

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10.	Land Requirement (in Ha) of the project or activity.	SN	Nature of Land involved	Land Requirement (in Ha)
		1.	Non-Forest Land [A]	530.195
		2.	Forest Land [B]	31.28
		3.	Total Land [A+B]	561.475
11.	Description of Project	Environmental Clearance for Sher Irrigation Complex Project Dam-1 with CCA - 6550 Ha.		
12.	Latitude/ Longitude details	Latitude 22°37'58.62"N, Longitude 79°32'6"E.		
13.	Whether any Forest Land involved in the project or part thereof	Yes.		
14.	Proposal No./Project ID	FP/MP/HYD/IRRIG/505464/2024. Forest Area applied for diversion (in Ha)- 31.28 Ha.,		
15.	Date of submission of Application.	20/11/2024		
16.	Whether NBWL recommendation is required?	No,		
17.	CTE/CTO details.	Will apply after getting Environmental Clearance.		
18.	Total number of village to be benefited in the district	Distt. – Seoni, Village - 18 No., Area benefited in Ha. - 6,550.		
19.	DFO NOC letter details	Letter No. 1915 Dated 07/03/2024. Any part of the proposed project does not fall within any National Park, Wildlife Sanctuary, Biosphere Reserve and Eco Sensitive Zone. The minimum distance from Panchmarhi Biosphere Reserve is 82.4 km and distance from Satpura tiger reserve is 99.6 km and from the project (As per Project Summary upload on Parivesh Portal).		
20.	PWD distance letter	Letter No. 459 Dated 29/01/2024 (Maharashtra State distance reported - 137 Km.).		
21.	EIA Consultant details	M/s PDCOR Limited, Jaipur (Raj), Valid up to 28th March2025.		

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 787वीं बैठक दिनांक 22.04.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. Stage-I Forest clearance में निहित शर्तों का पालन सुनिश्चित करें ।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

iv. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

v. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई–प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना e-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

vi. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 787वीं बैठक दिनांक 22.04.2025 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से vi एवं परिशिष्ट–1 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

18. Proposal No.: SIA/MP/MIN/430644/2023, प्रकरण क्र. 11035/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक पालीवाल, निवासी– स्टेशन रोड़, वार्ड नं. 05, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 24,795 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 35/1/2 ग्राम मिरकाबाद, तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। –DEIAA EC Re-appraisal

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 734वी बैठक दिनांक 01.04.2024 एवं 753वी–B बैठक दिनांक 18.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 855वी बैठक दिनांक 30.07.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" *राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–*

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–अशोकनगर के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 445 दिनांक 03/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है जिनको मिलाकर कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिका होता है। अत उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला अशोकनगर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की स्थल निरीक्षण उपरांत स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन ADS के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर जिला अशोकनगर का पत्र क्र. 331 दिनांक 19.05.2025 अपलोड करते हुये प्रकरण Relist किए जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कलेक्टर जिला अशोकनगर का पत्र क. 331 दिनांक 19.05.2025 की मूल प्रति सीधे ही कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त होने के उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है। तदानुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 29.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 734वी बैठक दिनांक 01.04.2024 एवं 753वी–B बैठक दिनांक 18.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 908वी बैठक दिनांक 31.10.2025 का कार्यवाही विवरण

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर के आदेश कमांक 698 दिनांक 03.10.2018 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.10.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19.Proposal No.: SIA/MP/MIN/539752/2025, प्रकरण क्र. **8025/2020** परियोजना प्रस्तावक मेंसर्स मैगनीज ओर इण्डिया लि. (MOIL), पता –मोईल भवन 1–ए कतोल रोड जिला नागपुर (महाराष्ट्रा) द्वारा मैगनीज ओर खदान (अन्डर ग्राउन्ड सेमीमैकनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 10,000 सें 1,20,000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 69.581 हेक्टेयर, खसरा नम्बर स्वीकृत लीज अनुसार, ग्राम लुगमा एवं उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) **Application for Validity Extension of EC-Form-6**

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण की 898वी बैठक दिनांक 25.09.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 14.02.2023 की वैधता विस्तार हेतु ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–6 में आवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :–

1. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 14.02.2023 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 14.02.2023 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन टेबल फार्म में मय फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत किया जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 29.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये ये दस्तावेजों एवं ADS Reply का परीक्षण कर पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) उपरोक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र Identification No. - EC23B000MP110349 दिनांक 14.02.2023 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता म.प्र. खनिज साधन विभाग के लीज नवीनीकरण आदेश क. 2028/2376538/2024/MRD/12 दिनांक 16.05.2025 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 14.02.2023 की वैधता 14.09.2035 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(ii) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

20. Proposal No.- SIA/MP/MIN/478645/2024 Case No. P2/463/2024 - Prior Environment Clearance for Sand Quarry (opencast manual method), in an area of 5.00 ha. (As per SEAC recommendation mineable area is 1.84 ha.),, for production capacity of 18493 cum per year (as per SEAC recommendation), at Khasra No. 265, 01, Village-Bagdongri-Devgaon,Tehsil- Keolrai, District Seoni (M.P.) by The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Shri Omkar Dubey Authorized person, Paryawas Bhawan, Block '1-A', II nd floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 899वी बैठक दिनांक 26.09.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत प्रथम दृष्टया निम्नानुसार पाया गया :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अधिकृत पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि एक प्रारंभिक दस्तावेज है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटराईज्ड शपथ पत्र 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 07.10.2025 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में 03 वर्ष की Replenishment Stduy प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:–

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Seoni	BAGDONGRI-DEVGAON	265, 01	2021-22	5	990.7	5	1.2	60000	1.85	92500	92500	55500	38689.84
			2022-23		1568.5	5	1.07	53500	2.05	102500	102500	61500	0
			2023-24		1497.3	5	2.05	102500	2.55	127500	127500	76500	29999.99

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 908वी बैठक दिनांक 31.10.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 796वी बैठक दिनांक 23.05.2025 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2025 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replnishiment Stduy डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* **अनुसार लीज क्षेत्र से 350 मीटर की दूर पर स्थित रोड़ ब्रिज के स्पैन की 10 गुना डाउन स्ट्रीम तरफ दूरी छोड़ते "** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 5.00 हे. में से मात्र 1.84 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में भएक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहां से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

परिशिष्ट–1

i. A grievances redress mechanism should be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.

ii. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.

iii. A monitoring Committee for R & R shall be constituted which shall include representatives of project affected persons including representative from Sc/ST.

iv. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.

v. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.

vi. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieve.

vii. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.

viii. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.

ix. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department.it is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

x. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.

xi. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

xii. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.

xiii. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.

xiv. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.

xv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.

xvi. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated Ist May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.

xvii. PP needs to comply the OM dated 24.07.2024 of MoEFCC, where it is stated that the plantation of saplings shall be carried out in the earmarked 33% greenbelt area as part of the tree plantation campaign " EK Ped Ma ke Naam" (and the details of the same shall be uploaded in the MeriLife portal (https://merilife.nic.in).

xviii. The validity of the Environmental Clearance (EC) extends up to 13 years to the start of production operations or the commissioning of the project. The EC's validity becomes perpetual if production operations commence on or before the specified date. Should the Project Proponent fail to initiate production operations within the EC validity period, an application for an extension must be submitted to the regulatory authority, in accordance with Para 9.0 of the EIA Notification, 2006, as amended.